

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 284/2025

महिपाल सिंह पुत्र श्री सांवरमल, पेशी खेती, निवासी ग्राम खटकड़, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनूं
(राज.)

—अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढागौड़जी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनूं (राज.)

—रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध आदेश दिनांकित 18.08.2025
न्यायालय तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम महिपाल अन्तर्गत
धारा 91 एल.आर. एक्ट मु.नं. 145/2025

उपस्थित :-

1. श्री महिपाल सिंह कपूरिया, एडवोकेट— अपीलान्त की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

आदेश

दिनांक 27.04.2026

प्रस्तुत अपील तहसीलदार, गुढागौड़जी के आदेश दिनांक 18.08.2025 के विरुद्ध पेश की गई है। अपीलान्त के अनुसार न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनूं ने अपने निर्णय दिनांकित 31.05.2024 के द्वारा अपीलान्त को भूमि खसरा न. 973 रकबा 0.12 है० व खसरा न. 864 रकबा 4.47 है० किस्म बंजड़ में से 0.12 व 1.00 है० कुल रकबा 1.12 है० वाके ग्राम खटकड़ पटवार हल्का केड से अपीलान्त को अतिक्रमी घोषित कर भौतिक रूप से बेदखल करने हेतु व 150 रुपये मात्र बतौर शास्ति जुर्माना आरोपित कर निर्णय पारित किया था जिसके विरुद्ध अपीलान्त द्वारा माननीय न्यायालय में एक अपील उनवानी महिपाल बनाम तहसीलदार पेश की गई थी। जिसमें माननीय न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं अपने निर्णय दिनांक 07.03.2025 के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 31.05.2024 को निरस्त कर पत्रावली में साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया था जिसमें अदालत मातहत तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनूं द्वारा अपने निर्णय दिनांकित 18.08.2025 के द्वारा अपीलान्त को उक्त भूमि अतिक्रमी घोषित कर भौतिक रूप से बेदखल करने हेतु व शास्ति जुर्माना आरोपित कर निर्णय पारित किया है जिसके विरुद्ध अपीलान्त ये अपील निम्नलिखित आधारों पर पेश है कि अदालत मातहत तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनूं के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 विरुद्ध कानून एं पत्रावली है। उक्त प्रकरण रिमाण्ड होकर न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी में दिनांक 19.03.2025 को दर्ज हुआ था जिसके मु.नं. 253/2025 दर्ज हुए तत्पश्चात उक्त पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर झुंझुनूं के आदेश दिनांक 14.05.2025 की पालना में कार्य क्षेत्र विभाजन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी में स्थानांतरित हो गई। उक्त प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी में तारीख पेशी दिनांक 24.04.2025 वास्ते तामील हेतु नियत थी जिसमें आगामी तारीख 15.05.2025 नियत की गई। तत्पश्चात पत्रावली अदालत मातहत में अन्तरित होने के पश्चात तारीख पेशी दिनांक 15.05.2025 को आगामी पेशी 19.05.2025 नियत की गई। जिसके बाद प्रकरण में दिनांक 23.06.2025 को अपीलान्त ने प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया जिस पर प्रकरण में दिनांक 21.07.2025 नियत कर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्त को अवसर दिया गया परन्तु अपीलान्त उक्त तारीख पेशी पर


जिला कलक्टर झुंझुनूं

साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ होने के कारण पुनः साक्ष्य हेतु अवसर चाहा जिस पर दिनांक 14.08.2025 नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 14.08.2025 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण आगामी तारीख दिनांक 18.08.2025 नियत की गई जिस पर अदालत मातहत ने अपीलान्त को ना तो सबूत पेश करने हेतु अवसर दिया व ना ही अपीलान्त की हल्फिया साक्ष्य लेखबद्ध की व अपीलान्त की साक्ष्य बंद किये बिना ही अपीलान्त की गैर मौजूदगी में अपीलान्त को सुने बिना दिनांक 18.08.2025 अपीलान्त के विरुद्ध में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है क्योंकि अपीलान्त न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गए। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में किस खसरा नं. से अपीलान्त को अतिक्रमी मानकर बेदखल किया है, का उल्लेख अपने निर्णय के अंतिम पैरा में नहीं किया गया है तथा आदेश में यह दर्ज किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है जो बोलता हुआ जजमेंट नहीं है। इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त आराजीयात खसरा नं. 973 रकबा 0.12 है0 व खसरा नं. 864 रकबा 4.47 है0 किस्म बंजड़ द्वितीय हे जिन पर अपीलान्त का कदीमी व पुराना रास्ता है जिसकी बाबत राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील में उल्लेख है व लगान तय हुआ है व काश्त की बाबत अपीलान्त के हक में रबी व खरीफ की दोनों फसलों के इन्द्राजात है तथा अपीलान्त ने काफी मेहनत करके उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया है इसलिए उक्त मामला अपीलान्त/गैरसायल के हक में नियमन का है। इसके बावजूद योग्य अदालत मातहत ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 के द्वारा अपीलान्त/गैरसायल को उक्त आराजीयात से बेदखल किए जाने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अपीलान्त गैर सायल के हक में बखूबी नियमन का मामला होने के बावजूद अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय झुंझुनू की नियमन एवं आवंटन समिति के समक्ष भेजकर आराजीयात का नियमन बहक अपीलान्त किये जाने हेतु सिफारिश नहीं कर व उक्त बेदखलीयाबी का आदेश पारित कर अदालत मातहत ने अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत के द्वारा पारित उक्त निर्णय मय खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने भी उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 18.08.2025 पारित करने से पूर्व सम्बन्धित पटवारी हल्का के हल्फिया साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं की अगर पटवारी हल्का की साक्ष्य लेखबद्ध की जाती तो अपीलान्त को गैर सायलान अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से जिरह करके अपने केस को साबित करते परन्तु योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्त को उनके हक में अदालत मातहत में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया तथा अपीलान्त को बिना सुने ही उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 को पारित कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाल टाईप का निर्णय पारित कर दिया इसलिए भी उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त मंजूर फरमाकर अदालत मातहत तहसीलदार गुढागौड़जी जिला झुंझुनू बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम महिपाल किस्म मुकदमा 91 एल.आर. एक्ट मु.नं. 145/2025 में पारित निर्णय दिनांकित 18.08.2025 को मय खर्चा खारिज फरमावे व वादग्रस्त आराजीयात का नियमन अपीलान्त के हक में किया जाना फरमावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त प्रकरण रिमाण्ड होकर न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी में दिनांक 19.03.2025 को दर्ज हुआ था जिसके मु.नं. 253/2025 दर्ज हुए तत्पश्चात उक्त पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर झुंझुनू के आदेश दिनांक 14.05.2025 की पालना में कार्य क्षेत्र विभाजन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी में स्थानांतरित हो गई। उक्त प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी में तारीख पेशी दिनांक 24.04.2025 वास्ते तामील हेतु नियत थी


जिला कलक्टर झुंझुनू

जिसमें आगामी तारीख 15.05.2025 नियत की गई। तत्पश्चात पत्रावली अदालत मातहत में अन्तरित होने के पश्चात तारीख पेशी दिनांक 15.05.2025 को आगामी पेशी 19.05.2025 नियत की गई। जिसके बाद प्रकरण में दिनांक 23.06.2025 को अपीलान्त ने प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया जिस पर प्रकरण में दिनांक 21.07.2025 नियत कर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्त को अवसर दिया गया परन्तु अपीलान्त उक्त तारीख पेशी पर साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ होने के कारण पुनः साक्ष्य हेतु अवसर चाहा जिस पर दिनांक 14.08.2025 नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 14.08.2025 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण आगामी तारीख दिनांक 18.08.2025 नियत की गई जिस पर अदालत मातहत ने अपीलान्त को ना तो सबूत पेश करने हेतु अवसर दिया व ना ही अपीलान्त की हल्फिया साक्ष्य लेखबद्ध की व अपीलान्त की साक्ष्य बंद किये बिना ही अपीलान्त की गैर मौजूदगी में अपीलान्त को सुने बिना दिनांक 18.08.2025 अपीलान्त के विरुद्ध में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है क्योंकि अपीलान्त न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गए। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में किस खसरा नं. से अपीलान्त को अतिक्रमी मानकर बेदखल किया है, का उल्लेख अपने निर्णय के अंतिम पैरा में नहीं किया गया है तथा आदेश में यह दर्ज किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है जो बोलता हुआ जजमेंट नहीं है। इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त आराजीयात खसरा नं. 973 रकबा 0.12 है0 व खसरा नं. 864 रकबा 4.47 है0 किस्म बंजड़ द्वितीय हे जिन पर अपीलान्त का कदीमी व पुराना रास्ता है जिसकी बाबत राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील में उल्लेख है व लगान तय हुआ है व काश्त की बाबत अपीलान्त के हक में रबी व खरीफ की दोनों फसलों के इन्द्राजात है तथा अपीलान्त ने काफी मेहनत करके उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया है इसलिए उक्त मामला अपीलान्त/गैरसायल के हक में नियमन का है। इसके बावजूद योग्य अदालत मातहत ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 के द्वारा अपीलान्त/गैरसायल को उक्त आराजीयात से बेदखल किए जाने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अपीलान्त गैर सायल के हक में बखूबी नियमन का मामला होने के बावजूद अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय झुंझुनू की नियमन एवं आवंटन समिति के समक्ष भेजकर आराजीयात का नियमन बहक अपीलान्त किये जाने हेतु सिफारिश नहीं कर व उक्त बेदखलीयाबी का आदेश पारित कर अदालत मातहत ने अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत के द्वारा पारित उक्त निर्णय मय खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने भी उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 18.08.2025 पारित करने से पूर्व सम्बन्धित पटवारी हल्का के हल्फिया साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं की अगर पटवारी हल्का की साक्ष्य लेखबद्ध की जाती तो अपीलान्त को गैर सायलान अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से जिरह करके अपने केस को साबित करते परन्तु योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्त को उनके हक में अदालत मातहत में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया तथा अपीलान्त को बिना सुने ही उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 को पारित कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाल टाईप का निर्णय पारित कर दिया इसलिए भी उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त मंजूर फरमाकर अदालत मातहत तहसीलदार गुढागौड़जी जिला झुंझुनू बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम महिपाल किस्म मुकदमा 91 एल.आर. एक्ट मु.नं. 145/2025 में पारित निर्णय दिनांकित 18.08.2025 को मय खर्चा खारिज फरमावे व वादग्रस्त आराजीयात का नियमन अपीलान्त के हक में किया जाना फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्त ने ग्राम खटकड़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 973, 864 किस्म बंजड़-2 में से कुल 1.12 हैक्टर भूमि पर फसल काश्त कर अवैध


जिला फलक्टर झुंझुनू

अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने गैर मुमकीन बंजड़-2 की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो राजकीय की भूमि है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम खटकड़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 973, 864 किस्म बंजड़-2 में से कुल 1.12 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी माना है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए, रिमाण्ड के आदेश के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए मैरिट पर निर्णय किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से अपील खारिज की जाती है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुझुनू